रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2045] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 1, 2019/आषाढ़ 10, 1941
No. 2045] NEW DELHI, MONDAY, JULY 1, 2019/ ASADHA 10, 1941

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2019

का.आ. 2262(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) (जिसे इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 11 की उप-धारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 16 अक्तूबर, 2015 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2874 (अ.) और 28 दिसंबर, 2015 की अधिसूचना संख्या का. आ. 3522 (अ.) के *तहत* हैदराबार के IV अपर मैट्रोपोलिटन सत्र न्यायाधीश के न्यायालय को उक्त अधिनियम की धारा-11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था जिसका अनुसूचित अपराधों के विचारण हेतु संपूर्ण तेलंगाना राज्य पर क्षेत्राधिकार होगा;

और जबकि, श्री टी. श्रीनिवास राव, IV अपर मैट्रोपोलिटन सत्र न्यायाधीश सह-XVIII अपर मुख्य न्यायाधीश, नगर सिविल न्यायालय, हैदराबाद जिन्हें भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 27 सितंबर, 2018 की अधिसूचना सं. का. आ. 5140 (अ.) के *तहत* उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, का उक्त न्यायालय से स्थानांतरण हो गया है;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय अन्वेषण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा-11 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 27 सितंबर, 2018 की अधिसूचना संख्या का.आ. 5140(अ) का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन कार्यों के जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने से लोप कर दिया गया था, तेलंगाना राज्य के उच्च न्यायालय के माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की सिफारिश पर एतद्द्वारा

श्री आर. तिरुपति, IV अपर मैट्रोपोलिटन सत्र न्यायाधीश सह-XVIII अपर मुख्य न्यायाधीश, नगर सिविल न्यायालय, हैदराबाद को उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 11011/02/2019-एनआईए]

पियूष गोयल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June, 2019

S.O. 2262(E).—Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 11 of the National Investigation Act, 2008 (34 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government had, *vide* notifications number S.O. 2874(E) dated the 16th October, 2015, and S.O. 3522(E) dated the 28th December, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), notified the Court of IV Additional Metropolitan Sessions Judge's Court, Hyderabad, as the Special Court for the purposes of sub-section (1) of section 11 of the said Act having jurisdiction throughout the State of Telangana for the trial of Scheduled Offences;

And whereas, Dr. Sri. T. Srinivasa Rao, IV Additional Metropolitan Sessions Judge-cum-XVIII Additional Chief Judge, City Civil Court, Hyderabad, who was appointed as the Judge to preside over the said Special Court *vide* notification number S.O. 5140 (E) dated the 27th September, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), has been transferred from the said Court;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 11 of the National Investigation Act, 2008 (34 of 2008) and in supersession of the notification number S.O. 5140(E) dated the 27th September, 2018, except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on the recommendation of the Hon'ble Acting Chief Justice, High Court for the State of Telangana, hereby appoints Sri R. Tirupati, IV Additional Metropolitan Sessions Judge-cum-XVIII Additional Chief Judge, City Civil Court, Hyderabad, as the Judge to preside over the said Special Court.

[F. No. 11011/02/2019/NIA]

PIYUSH GOYAL, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2019

का.आ. 2263(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) (जिसे इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 11 की उप-धारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 31 दिसंबर, 2012 की अधिसूचना संख्या का. आ. 78(अ) के *तहत* XLIX अपर नगर सिविल एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय, बेंगलुरू नगर को उक्त अधिनियम की धारा-11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था जिसका अनुसूचित अपराधों के विचारण हेतु संपूर्ण कर्नाटक राज्य पर क्षेत्राधिकार होगा;

और जबकि, श्री सिद्दालिंगा प्रभु, XLIX अपर नगर सिविल एवं सत्र न्यायाधीश, बेंगलुरू नगर जिन्हें भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 28 जून, 2018 की अधिसूचना सं. का.आ. 2033(अ) के *तहत* उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, का उक्त न्यायालय से स्थानांतरण हो गया है;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय अन्वेषण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा-11 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 28 जून, 2018 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2033(अ) का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन कार्यों के जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने से लोप कर दिया गया

था, कर्नाटक उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति की सिफारिश पर एतद्द्वारा श्री वेंकटेश आर. हुल्गी, LI अपर नगर सिविल और सत्र न्यायाधीश, बेंगलुरू नगर को उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 11011/02/2019-एनआईए]

पियूष गोयल, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June, 2019

S.O. 2263(E).—Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 11 of the National Investigation Act, 2008 (34 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government had, *vide* notifications number S.O. 78(E) dated 31st December, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), notified the Court of XLIX Additional City Civil & Sessions Judge, Bengaluru City, as the Special Court for the purposes of sub-section (1) of section 11 of the said Act having jurisdiction throughout the State of Karnataka for the trial of Scheduled Offences;

And whereas, Sri Siddalinga Prabhu, XLIX Additional City Civil and Sessions Judge, Bengaluru City, who was appointed as the Judge to preside over the said Special Court *vide* notification number S.O. 2033 (E) dated the 28th June, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), has been transferred from the said Court;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 11 of the National Investigation Act, 2008 (34 of 2008) and in supersession of the notification number S.O. 2033(E) dated the 28th June, 2018, except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on the recommendation of the Hon'ble Chief Justice, High Court of Karnataka, hereby appoints, Sri Venkatesh R. Hulgi, LI Additional City Civil and Sessions Judge, Bengaluru City, as the Judge to preside over the said Special Court.

[F.No. 11011/02/2019/NIA]

PIYUSH GOYAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.07.02 21:30:57 +05'30'